[19/7/2019]

प्रश्न सं. [क्र. 1815]

परिशिष्ट–एक

विधान सभा अतारांकित पश्न कमांक–1815 / 10.07.2019

एफ.आई.आर.दर्ज होने के कारण निलंबित किये गये लोक सेवको का विवरण

स. क्र.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	एफ.आई.आर. दर्ज होने का दिनांक	निलंबित किये जाने का दिनांक	निलंबित किये जाने वाले अधिकारी का विवरण
1	श्री डी आर ज्ञानानी	जि.शि.अ. सतना	24.05.08	16.09.11	आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल
2	श्री एस के त्रिपाठी	जि.शि.अ. सतना	24.09.15	18.07.16	म प्र शासन स्कूल शिक्षा विभाग
3	श्री उपेन्द्र सिंह	ए.पी.सी. जि.शि.के. सतना	21.05.15	03.09.15	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सतना
4	श्री कमलेश वर्मा	बी.आर.सी.सी. मैहर	23.10.17	28.10.17	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सतना
5	श्री एस एस तिवारी	व्याख्याता शा उमावि नादन	18.01.16	12.09.16	आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल
6	श्री राजेश कुमार द्विवेदी	बी.आर.सी.सी. मैहर	15.06.15	13.07.15	आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल

अनुभाग अधिकारी,
मध्य प्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग
(कक्ष – 4)

उप संचालक
लोक शिक्षण म प्र

परिशिष्ट-दो

5. अतः सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्र. एफ. 12 (2) 854/प्रसको/एक, दिनांक 15-10-85 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एफ-21 (72)/92/1-10, दिनांक 27-5-96]

- - - - -

विषय- **विभागीय जांच/अपील के प्रकरण लोक सेवा आयोग की राय हेतु भेजने की आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया प्रपत्र।**

संदर्भ- सा. प्र. वि. का. ज्ञा क्र. सी/6-7/83/3/1, दिनांक 25-8-1984।

इस विभाग द्वारा उपरोक्त संदर्भित ज्ञापन के साथ एक पुनरीक्षित प्रपत्र निर्धारित कर प्रसारित किया गया था, जिसमें विभागीय जांच एवं अपील प्रकरणों की विस्तृत जानकारी पुनरीक्षित प्रपत्र में ही भरकर लोक सेवा आयोग को उनके परामर्श के लिए भेजी जाने के निर्देश दिये गये थे। लोक सेवा आयोग ने सूचित किया है कि कथित निर्देशों का सख्ती से पालन नहीं हो रहा है- जैसे कि प्रकरणों में जानकारी अधूरी भेजना, अभिलेखों का सक्षम अधिकारी के द्वारा प्रमाणीकरण न होना, जांच प्रतिवेदन पर जांच अधिकारी के हस्ताक्षर न होना, अपील प्रकरणों में कण्डिका वार टीप का न दर्शाया इत्यादि। इन कारणों से प्रकरण अनावश्यक रूप से लम्बी अवधि तक चलते रहते हैं तथा अधिकारी कई बार पदोन्नति समिति की बैठकों से अनुशंसित होने के बावजूद भी पदोन्नति से वंचित रह जाते हैं।

अतः शासन अपेक्षा करता है कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाये एवं भविष्य में विभागीय जांच एवं अपील के प्रकरण लोक सेवा आयोग को संदर्भित ज्ञापन के संलग्न प्रपत्र में समस्त सुसंगत एवं वांछित अभिलेखों के साथ ही भेजे जाया करें।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक सी/6-1 /85/3/1, दिनांक 4 नवंबर, 1985]

- - - - - -

विषय- **लोक आयुक्त संगठन/राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के अभियोजन के प्रकरणों में शासकीय/अर्द्ध शासकीय कर्मचारियों का निलंबन।**

राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक सी- 6-2-96-3-1, दिनांक 17 अप्रैल, 1996 द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम-9 में निलंबन के मामलों में विशेष रूप से यह व्यवस्था की गई है कि भ्रष्टाचार या अन्य नैतिक पतन अन्तर्वलित दाण्डिक अपराध में उसके विरुद्ध चालान प्रस्तुत करने की स्थिति में शासकीय सेवक को सदैव निलंबित किया जायेगा।

शासन के ध्यान में आया है कि एक प्रकरण में लोक आयुक्त की अनुशंसा प्राप्त होने पर आरोपी अधिकारी के अभियोजन के लिए स्वीकृति देने के बाद न्यायालय में चालान प्रस्तुत होने पर आरोपी अधिकारी का निलंबन नहीं किया गया।

शासन द्वारा समस्त विभागों को पुनः स्पष्ट किया जाता है कि लोक आयुक्त/राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के भ्रष्टाचार संबंधी मामलों में अभियोजन की स्वीकृति दोने में अथवा आरोपी अधिकारी को निलंबित करने की कार्यवाही में किसी भी प्रकार का विलंब नहीं किया जाना चाहिए। अभियोजन स्वीकृति के लिए विभाग को अधिकतम एक माह का समय दिया गया है और चालान के बाद निलंबन तो तत्काल किया जाना चाहिए। भविष्य में यदि किसी विभाग/अधिकारी द्वारा इस प्रकार की पुनरावृत्ति की जाती है तो संबंधित विलंबकर्ता अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जावेगी।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एफ-1158-98-1-10, दिनांक 26-2-98]

अनुभाग अधिकारी,
मध्य प्रदेश शासन,
शिक्षा विभाग